न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/14/2017	02–03–2017	06–08–2019

1– ओम प्रकाश दत्तक पुत्र स्व0 मुथरी पत्नी स्व0 बहराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1– लखमी चन्द पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

2– तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कोटकासिम इंतकाल संख्या 7 व 8 वाके ग्राम गुणसार दिनांक 05.12.2016

उपस्थित:–

01. श्री शैलेन्द्र भार्गव –वकील अपीलान्ट
02. श्री रामेश्वर दयाल –वकील रैस्पोडेन्ट सं0 1

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 05.12.2016 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 7 व 8 वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 63 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 426 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कायम हुआ तथा साबिक खसरा नम्बर 110 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, 186 रकबा 3 बीघा व 64 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 529 मिन रकबा 1 बीघा, 534 मिन रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 625 मिन रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 425 मिन रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम में स्थित है। उक्त आराजी की खातेदार श्रीमति मुथरी बेवा बहराम जाति अहीर थी। जिसके कोई संतान नहीं थी व उसके पति का भी देहांत हो चुका था। उसके द्वारा हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार अपीलांट ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद को गोद लिया गया। उक्त गोदनामें को सब–रजिस्ट्रार किशनगढबास से दिनांक 31.08.1979 को पंजीकृत कराया गया। गोदनामें में यह अंकित किया गया कि श्रीमति मुथरी की मृत्यु के पश्चात् उसकी चल–अचल सम्पत्ति का एक मात्र उत्तराधिकारी अपीलांट ओमप्रकाश रहेगा। श्रीमति मुथरी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 को ग्राम गुणसार में हुई। अपीलांट विवादित आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से बतौर खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम गुणसार में आयोजित शिविर दिनांक 10.02.1982 में सहवन से गोदनामें के आधार पर श्रीमति मुथरी बेवा बहराम अहीर को दीगर व्यक्ति द्वारा फौत होना दर्ज करा दिया गया। अपीलांट ओमप्रकाश उस दिन नाबालिग था। ओमप्रकाश के हक में श्रीमति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

मुथरी की खातेदारी की आराजी दर्ज कर दी गई। जिसमें विवादित आराजी शामिल थी। श्रीमति मुथरी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 में ग्राम गुणसार में हुई। श्रीमति मुथरी की मृत्यु के पश्चात् बतौर उत्तराधिकारी अपीलांट ओमप्रकाश विवादित आराजी का खातेदार है। रैस्पो. 1 चालाक व्यक्ति है। जो इस प्रयास में रहा है कि श्रीमति मुथरी की आराजी को येन केन हडप कर लें। उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाये गये और दो तथाकथित बयनामें दिनांक 11.05.1972 जो दिनांक 17.05.1972 को रजिस्टर्ड होना बताया है, के आधार पर इंतकाल सं. 7 व 8 का दिनांक 15.07.1975 को ग्राम गुणसार में दर्ज किये गये। उक्त बयनामें के आधार पर विवादित आराजी का 1/2 भाग विक्रय किया जाना दर्शाया गया है। उक्त तथाकथित बयनामे कानूनन शून्य है, क्योंकि उक्त बयनामे के द्वारा जो खसरा नम्बर 110 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का निफ्स हिस्सा विक्रय किया जाना दर्ज है। उक्त विक्रय आरटीएक्ट की धारा 42ए का उल्लंघन है। कानूनन उस दिन कोई खातेदार अपनी आराजी को टुकडों में विक्रय नहीं कर सकता था। उक्त प्रावधान बाबत फ्रेगमेंटेशन कानून लागू था। जिसे दिनांक 11.11.1992 का विलोपित किया गया। यदि कोई व्यक्ति धारा 42ए के प्रावधानों के विरूद्ध विक्रय करता है तो वह कानूनन शून्य है। उक्त कानून में बाद में यह प्रावधान किया गया कि यदि सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करे तो उक्त विक्रय सक्षम अधिकारी द्वारा वैध घोषित किया जा सकता है। साबिक खसरा नम्बर 63 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व 64 रकबा 4 बीधा जिसका विक्रय दर्शाया गया है। सवत् 2029 में तथाकथित विक्रेता श्रीमति मुथरी देवी की खातेदारी में नहीं था, बल्कि कासिया, घीसा पुत्रान रामजीवन सम्भाग दर्ज था। इस प्रकार जो विक्रय किया गया है। उस आराजी पर विक्रेता श्रीमति मुथरी बतौर खातेदार दर्ज नहीं थी। सैटलमेंट के बाद जो जमाबंदी सवत् 2035 में कायम की गई, उसमें पडताल जमाबंदी में राजस्व अधिकारीगण द्वारा उक्त तथ्य को दर्ज किया गया है कि इस आधार पर रैस्पो0 लखमी चन्द के हक में दर्ज इंतकाल सं. 7 व 8 को अवैध माना है। विवादित आराजी व अन्य आराजी जो श्रीमति मुथरी की खातेदारी की थी, का एक इंतकाल सं. 78 दिनांक 10.02.1982 को अपीलांट ओमप्रकाश के हक में गोदनामा के आधार पर दर्ज किया गया। उस दिन अपीलांट ओमप्रकाश की आयु मात्र 09 साल की थी। यदि उस इंतकाल में कोई गलत तथ्य दर्ज किये गये थे तो उसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है, परन्तु निर्विवाद रूप से श्रीमति मुथरी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 को हुई। उसके बाद अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा रैस्पो0 के हक में दर्ज तथाकथित विक्रय–पत्र कानूनन बेअसर है। इंतकाल सं. 7 व 8 दिनांक 10.02.1982 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां दर्ज की गई। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.1985 को स्वीकार कर तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसका निर्णय तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनांक 30.03.1992 को यह कया गया कि इंतकाल सं. 78 विधि पूर्ण है, क्योंकि श्रीमति मुथरी का स्वर्गवास हो चुका है तथा अपीलांट कानूनन उत्तराधिकारी हो चुका है। यदि रैस्पो0 लखमी चन्द विक्रय–पत्र के आधार पर खातेदारी चाहता है तो उसे सक्षम राजस्व न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए, क्योंकि विक्रय–पत्र में दर्ज आराजी में से कुछ आराजी की श्रीमति मुथरी देवी विक्रय–पत्र के निस्पादन के दिन खातेदार नहीं थी। साबिक खसरा नम्बर 63 व 64 पर अन्य व्यक्ति खातेदार दर्ज थे। तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 30.03.1992 के विरूद्ध रैस्पो0 लखमी चन्द द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील पेश की गई। जिसे निर्णय दिनांक 29.10.1993 के द्वारा स्वीकार कर इंतकाल सं. 78 निरस्त किया गया तथा इंतकाल सं. 7 व 8 की पालना करने के निर्देश दिये गये। निर्णय दिनांक 29.10.1993 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दायर निगरानी में अंतिम निर्णय दिनांक 03.11.2016 को किया गया। जिसमें अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय 29.10.1993 को यथावत रखा गया। उक्त सभी निर्णय किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व निर्धारित नहीं करते, बल्कि इंतकाल की कार्यवाही एक सरसरी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि का लगान लिया जाना है। इसलिए अपने अधिकारो का निर्धारण करने के लिये अपीलांट द्वारा एक नियमित वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 आरटीएक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में दिनांक 07.11.2016 को दायर किया गया। जिसमें प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 19.12.2016 को रहन व बय न करने तथा रिकॉर्ड यथावत रखे जाने का स्टे ऑर्डर पारित किया। रैस्पो0 को नियमित वाद की पूरी जानकारी थी, परन्तु धोखे से इंतकाल सं. 78 की पुश्त पर दिनांक 05.12.2016 को गलत इन्द्राज करा लिया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2016 की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.02.2017 को हुई। तब प्रतिलिपि प्राप्त की गई एवं कानूनी राय लेकर बिना किसी देरी के न्यायालय में पेश की गई। अपील में हुई देरी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं. 78 में दर्ज आदेश तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 05.12.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रैस्पो. 1 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अपील गलत तथ्यों पर मियाद बाहर पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अपीलांट का यह कथन कि उसे निर्णय दिनांक 05.12.2016 को सर्वप्रथम जानकारी जरिये पटवारी हल्का दिनांक 12.02.2017 को हुई, गलत एवं अस्वीकार है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.12.2016 को जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन पेश किया। जिसमें खाता सं0 264 की नकल भी अपीलांट द्वारा ली गई। खाता सं. 264 में उक्त विवादित आराजी भी सम्मिलित है तथा अपीलांट द्वारा ली गई जमाबंदी संवत् 2068–71 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया इंतकाल सं. 78 दिनांक 05.12.2016 का नोट लगा हुआ है। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 20.12.2016 को जमाबंदी की नकल लेने पर हो गयी थी। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने तहसीलदार कोटकासिम के समक्ष इंतकाल की नकल लेने हेतु दिनांक 06.12.2016 को प्रा. पत्र पेश किया था, जिसमें विवादित इंतकाल का उल्लेख है। जिस पर अपीलांट के स्वंय के हस्ताक्षर है। उक्त स्थिति में अपीलांट का यह कहना इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2017 हुई, गलत है। श्रीमति मुथरी देवी की मृत्यु दिनांक 06.11.1991 को हुई थी, किन्तु अपीलांट के नाम इंतकाल दिनांक 10.02.1982 को दर्ज हो गया, जो कानूनन गलत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 03.11.2016 की पालना में किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 07.11.2016 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में वाद दायर किया था, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रा.पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत अपीलांट न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां उक्त प्रा.पत्र की दिनांक 19.12.2016 को अपील पेश की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2016 को विवादित आराजी को रहन–बय मुन्तकिल ना करने के आदेश फरमाये गये, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की पालना में स्थगन से पूर्व दिनांक 05.12.2016 को इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर दिया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.12.2016 को उक्त निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 20.12.2016 को नकल लेने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन किया गया है, जिसकी पुष्टि पटवारी के प्रतिलिपि शुल्क प्राप्ति पंजीका से होती है। जिसमें अपीलांट द्वारा नकल राशि जमा

करवाकर खाता सं. 264 की नकल प्राप्त की गई है। जिसमें विवादित आराजी भी सम्मिलित है तथा इंतकाल सं. 78 दिनांक 05.12.2016 का नोट भी लगा हुआ है। जिससे सिद्ध होता है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नकल दिनांक 20.12.2016 से हो गयी थी। इसके अलावा तहसीलदार कोटकासिम के समक्ष इंतकाल की नकल लेने हेतु दिनांक 06.12.2016 से ही अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी हो गई थी। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06–08–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6-8-19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)